राष्ट्रीय सम्मेलन प्रतिवेदन

दिनांक– 28 फरवरी 2015 एवं 1 मार्च 2015 को जबलपुर पब्लिक कॉलेज करमेता में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन विषय–"शिक्षा के अधिकार का क्रियान्वयन अधिनियम 2009" पर केन्द्रित था, इसे काऊसिंल फॉरटीचर एजुकेटर के तत्वाधान में किया गया।

8 मार्च 2014 को प्रातः 10:30 बजे मुख्य अतिथि डॉ0 के0 एन0 सिंह यादवजी कुलपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय सम्मेलन का उदघाटन किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्रिगेडियर अनुज माथुर, प्रसीडेन्ट स्टेशन कमान्डर कन्टूमेन्ट बोर्ड, जबलपुर सुशोभित थे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉ0 श्री एस.डी.सिंह राष्ट्रीय (संयोजक) समन्वयक सी.टी.ई. के द्वारा की गई। की नोट एड्रेस डॉ0 श्री के एम.भण्डारकर जी सी.टी.ई. चीफ एडिटर के द्वारा बहुत ही बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया।

मंचासीन अतिथियों में डॉ0 जी मिश्रा अध्यक्ष सी.टी.ई म.प्र., श्री प्रवीण वर्मा सचिव शिवनारायण फॉउण्डेशन एवं डॉ. निवेदिता पाल प्राचार्य, जबलपुर पब्लिक कॉलेज की विशेष भूमिका रही।

राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यक्रम प्रभारी डॉ. श्रीमती श्वेता पाण्डे द्वारा मंचासीन अतिथियों का परिचय प्रस्तुत किया गया।

परिचय के पश्चात् माननीय डॉ. श्री के. एन. सिंह यादवजी द्वारा हायर एजुकेशन की समस्याओं को उजागर किया एवं श्रेष्ठ समाधान को खोजकर उसे क्रियान्वित करने पर बल दिया व सुझाव दिया कि शैक्षणिक जागरूकता एवं अभिवृत्ति के विकास के लिए योजनाए बनाकर उन्हें पूरी कर्मठता एवं लगन ले क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। इससे शिक्षा के स्तर को और अधिक उच्च स्तर तक पहुँचाया जा सकता है। डिग्री ऐसी हो जो सिर्फ एक पात्रता नही बल्कि नौकरी दिलाने वाली हो। संख्यात्मक की जगह गुणात्मक शिक्षा की बहुत आवश्यकता हैं। विशिष्ट अतिथि ब्रिगेडियर अनुज माथुर ने प्रशिक्षक एव प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया को बड़ा उत्तर दायित्व माना है, साथ ही मानवता को साथ लेकर चलने की आवश्यकता पर बल दिया। समाज एवं देश को जिस प्रकार के शिक्षक की आवश्यकता है वह शिक्षण के सिद्धान्त के अनुसार बनाया गया है उसको समझने व सही दिशा मे क्रियान्वयन के प्रभाव पर बल दिया। समाज को जागरूक करने पर बल देते हुए कहां कि ज्ञान ही आपको आपका हक दिला सकता है अतः सभी को शिक्षा के लिए जागरूक करने की आवश्यकता हैं।

श्री जी.एस.मिश्राजी ने (CTE) अध्यापक शिक्षा परिषद की जानकारी देते हुए श्री के. एम. भण्डारकर जी के बारे में जानकारी दी। आपने पोस्ट ऑफिस एप्रोच की जगह पोस्टमेन एप्रोच पर सभी का ध्यान केन्द्रित किया। आपने कहां कि अब बालक स्कूल नहीं, स्कूल बालक के पास जाएगा एवं नैतिक शिक्षा एवं चरित्र निर्माण को प्रोत्साहित करने पर बल दिया। आपके कथनानुसार शिक्षक एक शिल्पी के समान है। वह जैसा चाहे विद्यार्थी

को निर्मित कर सकता है। आप अविभावकों के पास जाकर उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करना होंगा . इस बात पर सबका ध्यान आकर्षित किया।

श्री के.एम. भंडारकर जी ने "की नोट एड्रेस दिया" जिसमें आपने अवगत कराया कि स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले ने 18 मार्च 1910 में ही भारत में "मुफत एव अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान के लिए ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष प्रस्ताव रखा जो निहित स्वार्थो के विरोध के चलते अंतः खारिज हो गया। भारत के संविधान की शुरूआत में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 41 के नीति निर्देशक तत्वों के तहत् मान्यता दी गयी थी 2002 में संविधान के छूठे संविधानिक सशोधन अधिनियम "शिक्षा के अधिकार' के माध्यम से एक मौलिक अधिकार के रूप में जाना जाने लगा। हमारें संविधान के अनुच्छेद 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित निर्मित उपबन्ध 26 अगस्त 2009 को भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। जो कि 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। जिससे भारत उन 135 देशो में शामिल हो गया जहाँ सभी बच्चो को शिक्षा का मौलिक अधिकार हैं। हमारे शिक्षा का अधिकार 2009 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की आपने यह स्पष्ट किया कि किस प्रकार से इसका क्रियान्वयन सुचारू रूप से किया जा सकता है। शिक्षको के तीन प्रकारों का वर्णन करते हुए शिक्षकों को समर्पण एवं अभिक्षमता के धनी होने को महत्वपूर्ण माना। सभी के लिए शिक्षा केवल राज्य की जवाबदारी नही है यह अविभावकों की भी जवाबदारी है। शिक्षको के लिए अपने विषय की जानकारी में निपुर्णता के साथ अन्य विषयों के ज्ञान की भी आवश्यकता पर बल दिया।

डॉ0 श्री एस डी. सिंह जी ने अपना उद्बोधन इस वाक्य से प्रारम्भ किया कि ज्ञान से पवित्र दुनिया में कोई नहीं है। आपने कहाँ कि शिक्षक को न केवल अपने विषय के ज्ञान की आवष्यकता हैं उसके साथ उन्हें अपना कर्तव्यबोध होना चाहिए। राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रोत्साहन शब्द कहते हुए बधाई दी एवं कहा कि कुछ ऐसी कार्यशालाओं की और अधिक आवश्यकता हैं जहाँ जनसाधारण को भी जागरूकं कराया जा सके। आपने (CTE) के विषय में भी जानकारी प्रदान की। एवं शोद्य सम्मेलन की सार्थकता पर अपने विचार प्रकट किए।

श्री प्रवीण वर्मा जी ने राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए शुभकॉमना देते हुए प्रोत्साहन के शब्द कहें। डॉ0 निवेदिता पॉल ने सभा का उद्बोधन मलाला के विडियों को दिखाकर प्रभावी ढंग से प्रारम्भ किया जो कि राष्ट्रीय सम्मेलन के विषय को पूर्णबल प्रदान करता हैं।आपने महाविद्यालय समिति शिवनारायण फाउण्डेशन के विषय में जानकारी प्रदान की।

उद्घाटन समारोह के पश्चात् प्रथम तकनीकि सत्र का शुभारंभ दोपहर 2:00बजे किया गया जिसमें निम्न उपशीर्षकों पर विचार प्रस्तुत किए गए।

1. हमारे संविधान के अनुच्छेद पद 45 में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए किए गये प्रावधान।

2. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राज्य और केन्द्र सरकारों की वित्तीय और प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ ।

3. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों की सभी प्राथमिक कक्षाओं में 25% गरीब छात्रों के प्रवेश के आरक्षण पर विवाद।

4. बाल निरक्षरता के उन्मूलन में औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रो की भूमिका।

5. नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति में मुक्त विद्यालयों का महत्व।

6. शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत सामान रूप से नागरिकों और विशेष रूप से अभिभावको से जिम्मेदारी और सहयोग की अपेक्षा।

7. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित कोई अन्य विषय।

राष्ट्रीय सम्मेलन में 28फरवरी एवं 1मार्च को प्रथम एवं द्वितीय सत्र में विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगणों एवं शोधार्थियों ने भाग लिया एवं उपरोक्त बिन्दुओं पर चर्चा की।

प्रथम तकनीकी सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ0 के.एम. मण्डारकर जी सी.टी.ई जनरल चीफ एडिटर शोभायमान रहें। इस तकनीकी सत्र की अध्यक्षता डॉ0 जे.पी.एस. तोमर जी प्रोफेसर एवं हेड ऑफ एजुकेशन बी.बी.डी.यूनिवर्सिटी लखनऊ एवं विजिटिंग प्रोफेसर IGNOU लखनऊ सेन्टर ने की इस सत्र के निर्णायक मण्डल के रूप में डॉ0 पी. एल. मिश्रा जी पूर्व प्राचार्य पी.एस.एम. एवं श्री नारायण दास कुशवाहा प्राचार्य सी.वी. रमन कॉलेज ऑफ एजुकेशन होशंगाबाद ने की। इस सत्र की रिपोर्टर श्रीमती सीमा चौबे रही।

श्री जे.पी.एस तोमर जी ने अपने उद्बोधन में 5R की परिभाषा एवं उसके संज्ञान की आवश्यकता को बताया। कार्य को करने के लिए प्राथमिक तैयारी एवं नीतियाँ बनाने पर बल दिया एवं यह कहा कि आज से ही 2015 के बाद की नीतियाँ तैयार की जावे। आपके अनुसार सभी CBSE में क्यों जा रहे है निश्चित ही शिक्षक प्रणाली में कोई कमी है इसे दूर करने का प्रयास आवश्यक है समय का सदुपयोग एवं उसके प्रबंधन पर बल दिया।

दिनांक–01/03/2015 को द्वितीय तकनीकी सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. जगतपाल सिंह तोमर जी प्रोफेसर एवं हेड ऑफ एजुकेशन बी.बी.डी. यूनिवर्सिटी लखनऊ एवं विजिटिंग प्रोफेसर IGNU लखनऊ सेन्टर एवं अध्यक्ष पद को श्री जी.एस.मिश्रा अध्यक्ष सी.टी.ई. म.प्र. द्वारा शोभायमान था। निर्णायक मण्डल के रूप में श्रीमती विमला भोंदले पूर्व प्राचार्य जबलपुर पब्लिक कॉलेज एवं डॉ. पी.एल.मिश्रा पूर्व प्राचार्य पी.एस.एम. की विशेष भूमिका रही। इस सत्र में रिपोर्टर डॉ0 श्रीमती लॉजवन्ती पटेल रही।

इन तकनीकी सत्रो की सफलता इस समय सार्थक सिद्ध हुई जब सभी प्रतिभागी एवं शोधार्थी एवं शिक्षक गणों ने प्रश्नों के माध्यम से तार्किक एवं विचारात्मक आदान प्रदान किया इसे सफल बनाने में श्री जे.पी.एस.तोमर एवं डॉ. निवेदिता पॉल मैडम का योगदान सराहनीय रहा।

उपरोक्त दोनो तकनीकी सत्र की समाप्ति के पश्चात समापन समारोह के मुख्य अतिथि श्री जी. के. जूडा, श्रीमती विमला भोडले, डॉ. जी.एस. मिश्रा , श्री प्रवीण वर्मा एवं

डॉ. निवेदिता पॉल की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। समापन समारोह में प्रथम एवं द्वितीय तकनीकी सत्र के शिक्षकगणों में से प्रथम स्थान डॉ0 श्रीमती सुधा द्विवेदी, द्वितीय स्थान डॉ. श्रीमती शोभा सिंह एवं तृतीय स्थान पर रंजीत सिंह तोमर रहे। छात्राध्यापकों में प्रथम स्थान हेमा फैंक, द्वितीय आशुतोष कडेरे एवं तृतीय स्थान जयदीप पटेल ने प्राप्त किया।

श्री प्रवीण वर्मा जी द्वारा इन पुरस्कारों का वितरण किया गया एवं आपने सभी के उज्जबल भविष्य की कामना की व इसी तरह आगे बढ़ते रहने को प्रोत्साहित किया।

देशभर से आए सी.टी.ई. की महान विभूतियों को व विभिन्न महाविद्यालयों से आए प्राचार्यगण एवं शिक्षक गणों को डॉ.श्वेता पाण्डे कार्यक्रम प्रभारी राष्ट्रीय शोध सम्मेलन द्वारा आभार प्रदर्शन के साथ सम्मेलन का समापन किया गया व प्राचार्य श्रीमती निवेदिता पॉल द्वारा एक बार और मलाला द्वारा कहें गए शब्दों को दोहराकर सबसे वचन लिया गया कि आज और अभी से हम पूरे कर्तव्यनिष्ठता, कर्मठता के साथ एक साथ मिलकर शिक्षण के नए आयामों को प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास करेंगें।

कार्यक्रम का संचालन प्रशात पाण्डेय द्वारा किया गया एवं संस्था के समस्त स्टॉफ ने कार्यक्रम को सफलत बनाने में अपना भरपूर योगदान दिया।

कार्यक्रम प्रभारी,
डॉ.(श्रीमती)श्वेता पाण्डे

प्राचार्य,
डॉ0(श्रीमती)निवेदिता पॉल
Principal
Jabalpur Public College
49, Karmeta, Patan Road
Jabalpur (M.P.)